SUCHI – 4000 / 08 - 2002

प्रपत्र – 01
Form – 01

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

नियोजक पंजीकरण प्रपत्र
Employer's Registration Form
(विनियम 10–ख)
(Regulation 10-B)

+ नियोजक कूट संख्या
(यदि पहले आवंटित किया गया हो)
+ Employer's Code No. .... (if allotted previously)

1. कारखाना / प्रतिष्ठान
Name of the Factory / Establishment .... Saraswati Dynamics Pvt. Ltd.
2. पूर्ण पंजीकृत पता
Full Registered Address .... C-7, Industrial Estate, Roorkee (Distt. Haridwar), Pin-247 667 (U.A.) India
3. (क) टेलीफोन नम्बर, यदि कोई हो ....
(ख) तार का पता, यदि कोई हो ....
(a) Telephone Number, if any ... 01332-262093, 262094
(b) Telegraph Address, if any ....
4. कारखाने / प्रतिष्ठान का स्थल
(क) राज्य .... U.A. .... (ख) जिला .... Haridwar
(ग) कस्बा या गांव .... (घ) निकटतम रेलवे स्टेशन .... Roorkee
(ङ) मार्ग का नाम या स्थान, नगरपालिका का नम्बर यदि कोई हो ....
(च) निकटतम डाकघर जहाँ पर कि कारखाना / प्रतिष्ठान स्थित है .... Civil Lines
(छ) पुलिस स्टेशन, जिसके अन्तर्गत वह क्षेत्र जहाँ पर कि कारखाना / प्रतिष्ठान स्थित है, आता है .... Ganeshpur / Mahar [handwriting unclear]
(ज) क्या कारखाना / प्रतिष्ठान नगरपालिका / छावनी सीमा के अन्तर्गत स्थित है? ....
Location of Factory Establishment
(a) State .... (b) District ....
(c) Town or Village .... (d) Nearest Rly. Station ....
(e) Name of Road or locality Municipal No., if any ....
(f) Nearest Post Office where Factory/Establishment is situated ....
(g) Police Station having jurisdiction in area where the Factory/Establishment is situated ....
(h) Whether the Factory/Establishment is situated within Municipal/Cantonment limit ....
5. किये जाने वाले कार्य/व्यापार का वास्तविक स्वरूप .... Manufacturing of Instruments
Exact nature of work/business carried on ....
6. (क) कारखाना अधि० के अन्तर्गत कारखाना/दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनि० के अन्तर्गत प्रतिष्ठान के पंजीकरण का वर्ष 01-08-85
(ख) लाइसेन्स संख्या (कारखाना) / प्रमाण पत्र संख्या (प्रतिष्ठान) SPR-436
(ग) कारखाना / प्रतिष्ठान चालू करने की तारीख 11-12-1975
(a) Year of Registration of the Factory under the Factories Act, Establishment under Shops and Establishment Act.
(b) Licence No. (Factory) / Certificate No. (Establishment)
(c) The date of starting of the Factory / Establishment.
7. स्वामित्व का प्रकार (क्या पंजीकृत मिश्रित पूंजी कंपनी, व्यक्तिगत स्वामित्व, साझेदारी या निजी पंजीकृत कंपनी है?
Nature of proprietorship (whether Registered Joint Stock company, Individual Ownership, partnership or Private Registered Company) Private Ltd.
8. मुख्य नियोजक :
(क) कारखाने के मामले में कारखाना अधिनियम के अनुसार और प्रतिष्ठान के मामले में दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अनुसार घोषित प्रबन्धक का नाम ....
(ख) प्रबन्ध अभिकर्ता / प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्ध साझेदारी / स्वामी या अधिष्ठाता का नाम और निवास का पता.....
(ग) यदि यह एक पंजीकृत मिश्रित पूंजी कंपनी है तो उसके मण्डल निदेशकों के अध्यक्ष का नाम और पता ....
(घ) यदि पंजीकृत मिश्रित पंजीकृत कंपनी है तो (यदि साझेदारी संस्था है तो प्रत्येक साझेदार का नाम और पता) प्रत्येक निदेशक का नाम और पता ....
Principal Employer :-
(a) Name of the Manager declared as such for the purpose of the Factory Act in case of Factory and for the purpose of Shops and Establishment Act and in case of an establishment. Mahesh Mishra
(b) Name and residential address of Management Agent/Managing Director/Managing partner/ owner or occupier. Mr. Mukesh Goel, 32, Civil Line Roorkee. M.D.
(c) If it is a registered Joint Stock Company, Name and address of the Chairman of the Board of Directors. 2. Mrs Kanta Goel 32 Civil Line Roorkee - Director
(d) Name and residential address of each of the Directors, if Registered Joint Stock Company (if a partnership concern names address of each of the partners.

9. (क) क्या कारखाना / प्रतिष्ठान में शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो कब से ....
(ख) कारखाने के मामले में क्या कारखाना अधिनियम, 1943 की धारा 2 (एम) (i) या (एम) (ii) के अन्तर्गत लाइसेन्स जारी किया गया है?
(a) Whether power is used in the Factory/Establishment if so, since when Since Begining
(b) In case of factory whether licence issued under Section 2(M) (i) or 2(M) (ii) of the Factories Act. 1943.

10. क्या कोई कार्य/व्यापार ठेकेदारों के माध्यम से या दूसरे अव्यवहित नियोजकों द्वारा कराया जाता है, यदि कोई हो?
यदि ऐसा है तो (क) कार्य / व्यापार का स्वरुप ....
(ख) मजदूरी पर इस प्रकार रक्खे गये व्यक्तियों की संख्या :–
(i) पुरुष .... (ii) महिलायें :.................... (iii) योग ....
Is any works/business carried on through contractors or other immediate employers if any ....
If so, (a) Nature of Work / Business .... Nil
(b) No. of persons so employed for wages :
(i) Males .... (ii) Females .... (iii) Total ....

11. (क) मजदूरी पर रखे गये व्यक्तियों का कुल योग (ठेकेदारों या अव्यवहित नियोजक चाहे शारीरिक श्रम, लिपिकीय, पर्यवेक्षीय, वे जो कच्चा माल खरीदने या बांटने या उत्पादित माल बेचने से सम्बन्धित है चाहे स्थाई या अस्थाई हों, को मिलाकर)
(i) पुरुष .... (ii) महिलायें .... (iii) योग ....
(ख) एक कारखाने के मामले में, जैसा कि लाइसेन्स में वर्णित है, कारखाने में किसी एक को नियुक्त किये जा सकने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या :
(a) Total number of persons employed for wages (including those employed through contractors or immediate employer whether manual, clerical, supervisory, those connected with administration or purchase of raw-material or distribution or sale of products (whether permanent or temporary)
(i) Males .... (ii) Females .... (iii) Total ....
(b) In case of a Factory, the maximum number of persons that co-employed on any one day in the Factory, as stated in the licence ....

12. कर्मचारियों की कुल संख्या (ठेकेदारों या अव्यवहित नियोजक चाहें शीरिरिक श्रम, लिपिकीय पर्यवेक्षी वे जो प्रशासन या कच्चा माल खरीदने या बांटने या उत्पादित माल बेचने से सम्बन्धित हैं, चाहे स्थाई या अस्थाई हों जिनकी मजदूरी रु0 6,500/– प्रतिमाह या उससे कम हो (समयोपरि कार्य के लिये पारिश्रमिक को छोड़कर) :
(i) पुरुष ......25........ (ii) महिलायें ......—...... (iii) योग ......25........
Total number of employees (including those through contractors or immediate employers whether manual, clerical, supervisory connected with administration purchase of raw material or distribution or sale of products of the Factory/Establishment (whether permanent or temporary) each of whose wages (excluding remuneration for overtime work) are Rs. 6,500/- per mensum or less :-
(i) Males .... (ii) Females .... (iii) Total ....

13. (क) जैसा कि ऊपर प्रश्न 12 में दिया गया है पिछले महीने कर्मचारियों को भुगतान की गई मजदूरी की कुल धनराशि 68,490/–
(ख) कर्मचारियों की संख्या जिनको मजदूरी का भुगतान (क) में किया गया है। ......25..........
(a) Total amount of wages paid in the preceeding month to the employees as given inquiry No. 12 above.
(b) The number of employees to whom wages in (a) were paid ....

14. (i) प्रथम तारीख जब से ....
जिस पर 10 / 20 या अधिक व्यक्ति मजदूरी पर कारखाना / प्रतिष्ठान परिसर में रखे गये ....
(ii) जहाँ कि 10 / 20 या अधिक व्यक्ति मजदूरी पर लगातार रखे गये ....
(iii) किसी एक दिन की मजदूरी पर रखे गये व्यक्तियों की अधिकतम संख्या का मासिक विवरण दी गई तालिका में प्रेषित की जाये :
(i) The first date since
on which 10 / 20 persons or more were employed for wages in Factory / Establishment : premises .....01-11-2002.....................................
(ii) Where 10 / 20 or more persons have been employed for wages continuously.
(iii) A monthwise statement of maximum number of persons employed of wages on any day may be furnished in the Table.

वर्ष : Year :	जनवरी Jan.	फरवरी Feb.	मार्च Mar.	अप्रैल April	मई May	जून June		जुलाई July	अगस्त Aug.	सितम्बर Sept.	अक्टूबर Oct.	नवम्बर Nov.	दिसम्बर Dec.
2002	—	—	—	—	—	—	2002	—	—	—	21	18	18
2003	18	18	18	19	24	25	2003	25	25	25	25	25	
20							20						
20							20						
20							20						
20							20						
20							20						
20							20						
20							20						

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में सही है।
I hereby declare that the statement given above is correct to the best of my knowledge and belief.

For Saraswati Dynamics Pvt.Ltd.

तारीख / Date 24-11-2003   हस्ताक्षर / Signature ....

स्थान / Place ....   पद / Designation .... Factory Manager

जो लागू न हो उसे काट दीजिये। कारखाने जो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं उनके मामले में लागू होने वाली संख्या 10 या अधिक व्यक्तियों की है। शक्ति का न प्रयोग करने वाले कारखाने और प्रतिष्ठानों के मामले में लागू होने वाली संख्या 20 या अधिक व्यक्तियों की है।

Score out whichever is not applicable in case of Factories using power, the number applicable is 10 persons or more. In case of non-power using Factories and Establishments, the number applicable is 20 or more persons.

\+ एक कारखाने के मामले में अंकित किया जाना है जिस पर पहले किसी समय अधिनियम लागू था और जिसको कि नियोजक कूट संख्या आवंटित की गई थी।

\+ To be indicated in case of a Factory to which the Act applied at any time previously and to whom an Employer's code No. was allotted.

विशेष सूचना : स्तम्भ 8(क), (ख), (ग), (घ) में वर्णित व्यक्तियों के नाम और पतों में जैसे ही कोई परिवर्तन हो उसकी सूचना निरपवाद ही निगम के उपयुक्त कार्यालय को देनी चाहिए।

N.B. : Changes in the name and address of persons mentioned in column 8 (a), (b), (c), (d) should invariably be intimated to the appropriate office of the corporation as soon as these take place.

टिप्पणी : 1. प्रश्न संख्या 5 के उत्तर में उद्योग या व्यापार के नामकरण के विषय में और काल उद्योग या व्यापार के अंग के रूप में किये जाने वाले कार्य के वास्तविक स्वरूप की पूर्ण सूचना अपेक्षित है। प्रश्न का उत्तर "वस्त्र", "रसायन", "अभियांत्रिक" इत्यादि न होकर कार्य का वास्तविक स्वरूप बतलाने की आवश्यकता होगी जैसे कि "सूती वस्त्र बुनाई", "रासायनिक माचिस का निर्माण", "विद्युत मोटरों का अभियांत्रिक निर्माण" इत्यादि, इत्यादि।

In answer to query No. 5 complete information is required with regard to the nomenclature of industry or business and the exact nature of work carried on as part of cate industry or business instead of replying to the query like 'Textile', 'Chemicals', 'Engineering', etc. the exact nature of work need to be stated such as 'Textile-cotton knitting', 'Chemical-manufacture of matches', 'Engineering-manufacture of electric motors' etc. etc.

2. "शक्ति" से अभिप्रेत है विद्युत ऊर्जा या अन्य दूसरे रूप की ऊर्जा जो कि यांत्रिकी से संचारित की जाती है और मानव या पशु द्वारा जननन की जाती हो।

"Power" means electrical energy or any other form of energy which mechanically transmitted and not generated by human, or animal agency.

3. "अव्यवहित नियोजक" से, उसके द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में वह व्यक्ति अभिप्रेति है जिसने किसी ऐसे कारखाने या स्थापन के परिसर में, जिसमें यह अधिनियम लागू है, या प्रधान नियोजक व उसके अभिकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन किसी ऐसे सम्पूर्ण काम के या उसके किसी भाग के निष्पादन का भार अपने ऊपर लिया है, जो मामूली तौर पर प्रधान नियोजक के कारखाने या स्थापना के काम का भाग है, या जो ऐसे किसी कारखाने या स्थापना में किये जाने वाले काम का प्रारम्भिक या उस कारखाने या स्थापना के प्रयोजन का आनुषंगिक है, और इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति आता है, जिसके द्वारा उस कर्मचारी की सेवायें, जिसने उसके साथ सेवा-संविदा कर रखी है प्रधान नियोजक को अस्थाई रूप में उधार या भाड़े पर दी गई हैं।

"Immediate Employer" in relation to employees employed by or through him means a person who has undertaken the execution, on the premise of a factory or an establishment to which this Act applies or under the supervision of the principal employer or his Agent of the whole or any part of any work which is ordinarily part of the work of the factory or establishment of the principal employer or is preliminary to the work carried on in, or incidental to the purpose of any such factory or establishment, and includes a person by whom the services of an employee who has entered into a contract of service with him are temporarily lent or let on hire to the principal employer.

4. "प्रधान नियोजक" से अभिप्रेत है :

(i) किसी कारखाने में, कारखाने का स्वामी या अधिभोगी और इसके अन्तर्गत ऐसे स्वामी या अधिभोगी का प्रबन्धक अभिकर्ता किसी मृत स्वामी या अधिभोग, का विधिक प्रतिनिधि और जहाँ कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन कोई व्यक्ति कारखाने के प्रबन्धक के रूप में नामित हुआ है वहाँ इस प्रकार नामित व्यक्ति आता है। (ii) भारत में किसी सरकार के किसी विभाग के नियन्त्रणाधीन किसी स्थापन में, ऐसी सरकार द्वारा इस नामित नियुक्त प्राधिकारी या जहाँ कोई प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया गया है वहाँ विभागाध्यक्ष (iii) किसी अन्य स्थापन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्थापन के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी हो।

Principal Employer maans :

(i) In a factory, the owner or occupier of the factory and includes Managing agent of such owner or occupier, the legal representative of a deceased owner or occupier, and where a person has been named as the Manager of the factory under the Factories Act, 63 of 1948, the person so named, (ii) in any establishment under the control of any department of Govt. of India the authority appointed by such Government in this behalf or where no authority so appointed the head of the department, (iii) in any other establishment, any responsible for the supervision and control of the establishment.

5. ''कर्मचारी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे कारखाने या स्थापन में, जिसमें यह अधिनियम लागू है, या उसके काम के सम्बन्ध में मजदूरी पर नियोजित है और

(i) जो उस कारखाने या स्थापना के किसी काम पर, या उस कारखाने या स्थापन के आनुषंगिक या प्रारंभिक या उससे सम्बद्ध किसी काम पर, प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित है, चाहे ऐसा काम कर्मचारी द्वारा कारखाने या स्थापन में किया जाता हो या अन्यत्र, अथवा (ii) जो अव्यवहित नियोजक द्वारा या उसके माध्यम से कारखाने या स्थापन के परिसर में या प्रधान नियोजक या उसके अभिकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन ऐसे काम पर नियोजित है जो मामूली तौर पर कारखाने या स्थापना के काम का भाग है या जो कारखाने या स्थापना में किये जाने वाले काम का प्रारम्भिक है या उस कारखाने या स्थापना के प्रयोग का अनुषंगिक है अथवा (iii) जिसकी सेवायें प्रधान नियोजक को उस व्यक्ति द्वारा अस्थाई रूप से उधार या भाड़े पर दी गयी है, जिसके साथ उस व्यक्ति ने, जिसकी सेवायें इस प्रकार उधार या भाड़े पर दी गई है, कोई सेवा संविदा कर रखी है। और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो कारखाने या स्थापना के या उसके किसी भी विभाग या शाखा के प्रशासन से या उस कारखाने या स्थापना के लिए कच्चे माल के क्रय से या उसके उत्पादकों के वितरण या विक्रय से सम्बन्धित किसी काम पर मजदूरी पर नियोजित हो, किन्तु इसके अन्तर्गत :

(क) भारतीय नौसेना, सेना या वायुसेना का कोई सदस्य अथवा

(ख) इस प्रकार नियोजित ऐसा व्यक्ति जिसकी मजदूरी (अतिकालिक काम के लिए पारिश्रमिक को छोड़कर) छः हजार पाँच सौ रुपये मासिक हो,

<u>नहीं आता</u> :

परन्तु ऐसा कर्मचारी, जिसकी मजदूरी अतिकालिक काम के लिए पारिश्रमिक को छोड़कर अभिदाय-कालावधि के आरम्भ के पश्चात् न कि पूर्व किसी भी समय छः हजार पाँच सौ रुपये मासिक से अधिक हो जाय, उस कालावधि के अन्त तक कर्मचारी बना रहेगा।

"Employee" means any person employed for wages in or in connection with the work of a factory or establishment to which this Act applies and (i) who is directly employed by the principal employer on any work of, or incidental or priliminary to or connected with the work of the factory or establishment, whether such work is done by the Employee in the factory or establishment or elsewhere (ii) who is employed by or through an immediate employer on the premises of the factory or establishment or under the supervision of principal employer or his agent on work which is ordinarily part of the work of the factory or establishment which is preliminary to the work carried on in or incidental to the purpose of the factory or establishment or (iii) whose services are temporarily lent on hire to the principal employee by person with whom the person whose services are so lent or let on hire has entered into contract of service and includes any person employed for wages on any work connected with the administration of the factory or establishment or any part, department or branch thereof or with the purpose of raw materials for, or distribution or sale of the products of the Factory or establishment but does not include :

(a) any member of the Indian naval, military or air force, or

(b) any person so employed whose wages (excluding remuneration over-time work) exceed Six thousand five hundred rupees a month.

Provided that an employee whose wages (excluding remuneration overtime work exceed Six thousand five hundred rupees a month at any time (and not before) the beginning of the contribution period shall continue to be an employee until the end of that period.

6. ''मजदूरी'' से वह सभी पारिश्रमिक अभिप्रेति जो किसी कर्मकार को, नियोजन की संविदा के अभिव्यक्त या विवक्षित निबन्धों की पूर्ति हो जाने पर ,नकद संदत्त किया गया हो नकद संदेय होता और इसके अन्तर्गत किसी प्राधिकृत छुट्टी की, तालाबन्दी की ऐसी हड़ताल की अवैध नहीं है, या कामबन्दी की किसी भी कालावधि की बाबत किसी कर्मचारी को दिया गया संदाय और अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, यदि कोई हो, आता है जो दो मास से अधिक के अन्तराल पर दिया गया किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आतेः

(क) नियोजक द्वारा किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि में या इस अधिनियम के अधीन संदत्त कोई अभिदाय

(ख) कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा-रियायत का मूल्य,

(ग) नियोजित व्यक्ति को ऐसे विशेष व्यय के लिए संदत्त कोई राशि जो उसके नियोजन की प्रकृति के कारण उठाने पड़ते हैं, अथवा

(घ) उन्मोचन पर देय कोई उपदान।

"Wages" means all remuneration paid or payable in case to an employee, if the terms of the contract of employment, express or implied, work fulfilled and includes any payment to an employee in respect of any period of authorised leave, lock-out strike which is not illegal or lay-off and other remuneration, if any, paid at intervals not exceeding two months, but does not include :

(a) any contribution paid by the employer to any pension fund or provident fund under this Act.

(b) any travelling allowance or the value of any travelling concession.

(c) any sum paid to the person employed to defray special expenses entailed on him by the nature of his employment.

(d) any gratuity payable on discharge.